रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092022-239179
CG-DL-E-28092022-239179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4370]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944
No. 4370]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2022

का.आ. 4559(अ).—जबकि, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (जिसे इसमें इसके पश्चात **'पीएफआई'** कहा गया है) को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकरण संख्या एस/226/जिला दक्षिण/2010 के तहत दिल्ली में पंजीकृत किया गया था और रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ)(पंजीकरण संख्या 1352, दिनाँक 17.03.2008), कैंपस फ्रंट ऑफ़ इंडिया (सीएफआई), आल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाईजेशन (एनसीएचआरओ) (पंजीकरण संख्या एस-3256, दिनाँक 12.09.2010), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन (पंजीकरण संख्या के सीएच-IV-00150/2016-17, दिनाँक 02.12.2016) और रिहैब फाउंडेशन, केरल (पंजीकरण संख्या 1016/91) सहित इसके कई सहयोगी संगठन या सम्बद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन हैं ;

और जबकि, अन्वेषण से पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों के बीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित हुआ है;

और जबकि, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, पीएफआई के सदस्यों के माध्यम से धन जुटाता है और कैंपस फ्रंट ऑफ़ इंडिया, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन, केरल के कुछ सदस्य पीएफआई के भी सदस्य हैं तथा पीएफआई के नेता जूनियर फ्रंट, आल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाईजेशन (एनसीएचआरओ) और नेशनल विमेंस फ्रंट की गतिविधियों की निगरानी/ समन्वय करते हैं;

UIL MEDIA
உள்ளாட்சித்தகவல்
www.ullatchithagaval.com

और जबकि, पीएफआई ने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों या समाज के कमजोर वर्गों के बीच अपनी पहुँच को बढाने के उद्देश्य से उपरोक्त सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों की स्थापना की है जिसका एकमात्र उद्देश्य इसकी सदस्यता, प्रभाव और फण्ड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना है;

और जबकि, उपरोक्त सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों और पीएफआई के बीच "हब और स्पोक" जैसा संबध है, जिसमें पीएफआई 'हब' के रूप में कार्य करते हुए सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों की जनता के बीच पहुँच और फण्ड जुटाने की क्षमता का उपयोग विधि विरुद्ध क्रियाकलापों हेतु अपनी क्षमता बढाने के लिए करता है तथा ये सहयोगी संगठन या सम्बद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन "जड़ और शिराओं" की तरह भी कार्य करते हैं जिनके माध्यम से पीएफआई को निधि एवं शक्ति प्राप्त होती है;

और जबकि, पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या सम्बद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन सार्वजनिक तौर पर एक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं लेकिन ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में कार्य करते हैं तथा देश के संवैधानिक प्राधिकार और संवैधानिक ढाँचे के प्रति घोर अनादर दिखाते हैं;

और जबकि, पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या सम्बद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं, जो देश की अखंडता, सम्प्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल है और जिससे शांति तथा साम्प्रदायिक सदभाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है;

और जबकि, पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के नेता रहे हैं तथा पीएफआई का सम्बन्ध जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) से भी रहा है, ये दोनों संगठन प्रतिबंधित संगठन हैं;

और जबकि, पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी समूहों, जैसे कि इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस), के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क के कई उदाहरण हैं;

और जबकि, पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या सम्बद्ध संस्थायें या अग्रणी संगठन, चोरी-छिपे देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर एक समुदाय के कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि इसके कुछ सदस्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़ चुके हैं;

और जबकि, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि उपर्युक्त कारणों के दृष्टिगत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है, जिसकी निम्नलिखित तथ्यों से भी पुष्टि होती है; यथा,

i. पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है और यह देश की संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है तथा बाह्य स्रोतों से प्राप्त धन और वैचारिक समर्थन के साथ यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है,

ii. विभिन्न मामलों में अन्वेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि पीएफआई और इसके काडर बार-बार हिंसक और विध्वंसक कार्यों में संलिप्त रहे है। जिनमें एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काटना, अन्य धर्मों का पालन करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों की निर्मम हत्या करना, प्रमुख लोगों और स्थानों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक प्राप्त करना, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल हैं,

iii. पीएफआई काडर कई आतंकवादी गतिविधियों और कई व्यक्तियों यथा श्री संजीत (केरल, नवम्बर, 2021), श्री वी. रामलिंगम (तमिलनाडु, 2019), श्री नंदू (केरल, 2021), श्री अभिमन्यु (केरल, 2018), श्री बिबिन (केरल 2017), श्री शरत (कर्नाटक 2017), श्री आर. रुद्रेश (कर्नाटक 2016), श्री प्रवीण पुजारी (कर्नाटक 2016) श्री शशि कुमार (तमिलनाडु, 2016) और श्री प्रवीण नेत्तारू (कर्नाटक, 2022) की हत्या में शामिल रहे हैं और ऐसे अपराधिक कृत्य और जघन्य हत्याएं, सार्वजानिक शांति को भंग करने और लोगों के मन में आतंक का भय पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य से की गई है,

iv. पीएफआई के वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क के कई उदाहरण हैं और पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआईएस में शामिल हुए हैं और सीरिया, ईराक और अफगानिस्तान में आतंकी कार्यकलापों में भाग लिए हैं। इनमें से पीएफआई के कुछ काडर इन संघर्ष क्षेत्रों में मारे गए और कुछ को राज्य पुलिस तथा केंद्रीय

உள்ளாட்சித்தகவல்
www.ullatchithagaval.com

एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा, पीएफआई का सम्पर्क प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) से भी रहा है,

v. पीएफआई के पदाधिकारी और काडर तथा इससे जुड़े अन्य लोग बैंकिंग चैनल, हवाला, दान आदि के माध्यम से सुनियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत भारत के भीतर और बाहर से धन इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उस धन को वैध दिखाने के लिए कई खातों के माध्यम से उसका अंतरण, लेयरिंग और एकीकरण करते हैं तथा, अंततः ऐसे धन का प्रयोग भारत में विभिन्न आपराधिक, विधिविरुद्ध और आतंकी कार्यों के लिए करते हैं,

vi. पीएफआई की ओर से उनसे सम्बंधित कई बैंक खातों में जमा धन के स्रोत खाताधारकों के वित्तीय प्रोफाइल से मेल नहीं खाते और पीएफआई के कार्य भी उसके घोषित उद्देश्यों के अनुसार नहीं पाए गए, इसलिए आयकर विभाग ने, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 3) की धारा 12-A या 12-AA के तहत मार्च, 2021 में इसका पंजीकरण रद्द कर दिया। इन्हीं कारणों से , आयकर विभाग ने, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-A या 12-AA के तहत, रिहैब इंडिया फाउन्डेशन के पंजीकरण को भी रद्द कर दिया।

vii. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात राज्य सरकारों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की है।

और जबकि, पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या सम्बद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन देश में आतंक फैलाने और इसके द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरे में डालने के इरादे से हिंसक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं तथा पीएफआई की राष्ट्र- विरोधी गतिविधियां राज्य के संवैधानिक ढ़ांचे और सम्प्रभुता का अनादर और अवहेलना करते हैं, और इसलिए इनके विरुद्ध तत्काल और त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है;

और जबकि, केंद्रीय सरकार का यह मत है कि यदि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तत्काल रोक अथवा नियंत्रण न लगाया गया, तो पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या सम्बद्ध संस्थाएं या अग्रणी संगठन इस अवसर को निम्नलिखित हेतु प्रयोग करेंगे -

(i) अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों को जारी रखेंगे, जिससे लोक व्यवस्था भंग होगी और राष्ट्र का संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा;

(ii) आतंक आधारित पश्चगामी तंत्र (रिग्रेसिव रिजीम)को प्रोत्साहित एवं लागू करेंगे;

(iii) एक वर्ग विशेष के लोगों में देश के प्रति असंतोष पैदा करने के उद्देश्य से उनमें राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को भड़काना और उनको कट्टरवाद के प्रति उकसाना जारी रखेंगे;

(iv) देश की अखण्डता, सुरक्षा और सम्प्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को और तेज करेंगे;

और जबकि, केंद्रीय सरकार का उपर्युक्त कारणों की वजह से यह दृढ़ मत है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है;

इसलिए अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इसके सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ़ इंडिया (सीएफआई), आल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाईजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल सहित को "विधिविरुद्ध संगम" घोषित करती है;

और जबकि , उपर्युक्त परिस्थितियों के सन्दर्भ में केंद्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यधीन होगी।

[फा. सं. 14017/3/2022-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

UTL MEBA
உள்ளாட்சித்தகவல்
www.ullatchithagaval.com

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2022

S.O. 4559(E).—Whereas, the Popular Front of India (hereinafter referred to as the PFI) had been registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) vide Registration No. S/226/Dist.South/2010 in Delhi and it has many associates or affiliates or fronts, including Rehab India Foundation (RIF) (Registration Number 1352, dated 17.03.2008) , Campus Front of India (CFI), All India Imams Council (AIIC), National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO) (Registration Number S-3256, dated 12.09.2010), National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation (Registration Number KCH-IV-00150/2016-17, dated 02.12.2016) and Rehab Foundation, Kerala (Registration Number 1016/91);

And Whereas, the investigations have established clear linkages between PFI and its associates or affiliates or fronts;

And Whereas, Rehab India Foundation collects funds through PFI members and some of the members of the PFI are also members of Campus Front of India, Empower India Foundation, Rehab Foundation, Kerala, and the activities of Junior Front, All India Imams Council, National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO) and National Women's Front are monitored/coordinated by the PFI leaders;

And Whereas, the PFI has created the above mentioned associates or affiliates or fronts with objective of enhancing its reach among different sections of the society such as youth, students, women, Imams, lawyers or weaker sections of the society with the sole objective of expanding its membership, influence and fund raising capacity;

And Whereas, the above associates or affiliates or fronts have a 'Hub and Spoke' relationship with the PFI acting as the Hub and utilizing the mass outreach and fund raising capacity of its associates or affiliates or fronts for strengthening its capability for unlawful activities and these associates or affiliates or fronts function as 'roots and capillaries' through which the PFI is fed and strengthened;

And Whereas, the PFI and its associates or affiliates or fronts operate openly as socio-economic, educational and political organization but, they have been pursuing a secret agenda to radicalize a particular section of the society working towards undermining the concept of democracy and show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And Whereas, the PFI and its associates or affiliates or fronts have been indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty and security of the country and have the potential of disturbing public peace and communal harmony of the country and supporting militancy in the country;

And Whereas, some of the PFI's founding members are the leaders of Students Islamic Movement of India (SIMI) and PFI has linkages with Jamat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), both of which are proscribed organisations;

And Whereas, there had been a number of instances of international linkages of PFI with Global Terrorist Groups like Islamic State of Iraq and Syria (ISIS);

And Whereas, the PFI and its associates or affiliates or fronts have been working covertly to increase radicalization of one community by promoting a sense of insecurity in the country, which is substantiated by the fact that the some PFI cadres have joined international terrorist organisations;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that it is necessary to exercise its powers under sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, (37 of 1967) (hereinafter referred to as the Act) in view of the above stated reasons, which is substantiated by the following facts; namely,

(i) the PFI is involved in several criminal and terror cases and shows sheer disrespect towards the constitutional authority of the country and with funds and ideological support from outside it has become a major threat to internal security of the country,

உள்ளாட்சித்தகவல்
www.ullatchithagaval.com

(ii) investigations in various cases have revealed that the PFI and its cadres have been repeatedly engaging in violent and subversive acts. Criminal violent acts carried out by PFI include chopping-off limb of a college professor, cold blooded killings of persons associated with organisations espousing other faiths, obtaining explosives to target prominent people and places and destruction of public property,

(iii) the PFI cadres have been involved in several terrorist acts and murder of several persons, including Sh. Sanjith (Kerala, November, 2021), Sh. V.Ramalingam, (Tamil Nadu, 2019), Sh. Nandu, (Kerala, 2021), Sh. Abhimanyu (Kerala, 2018), Sh. Bibin (Kerala, 2017), Sh. Sharath (Karnataka, 2017), Sh. R.Rudresh (Karnataka, 2016), Sh. Praveen Pujari (Karnataka, 2016), Sh. Sasi Kumar (Tamil Nadu, 2016) and Sh. Praveen Nettaru (Karnataka, 2022) and the above criminal activities and brutal murders have been carried out by PFI cadres for the sole objective of disturbing public peace and tranquility and creating reign of terror in public mind,

(iv) there had been a number of instances of international linkages of PFI with Global Terrorist Groups and some activists of the PFI have joined Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and participated in terror activities in Syria, Iraq and Afghanistan. Some of these PFI cadres linked to ISIS have been killed in these conflict theaters and some have been arrested by State Police and Central Agencies and also the PFI has linkages with Jamat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), a proscribed terrorist organization,

(v) the Office bearers and cadres of the PFI along with others are conspiring and raising funds from within India and abroad through the banking channels, and the hawala, donations, etc. as part of a well-crafted criminal conspiracy, and then transferring, layering and integrating these funds through multiple accounts to project them as legitimate and eventually using these funds to carry out various criminal, unlawful and terrorist activities in India,

(vi) the sources of deposits on behalf of PFI with respect to its several bank accounts were not supported by the financial profiles of the account holders and the activities of PFI were not being carried out as per their declared objectives and therefore, the Income Tax Department cancelled the registration granted to PFI under section 12A or 12AA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). The Income Tax Department also cancelled the registration granted to Rehab India Foundation under section 12A or section 12AA of the Income Tax Act, 1961,

(vii) the State Governments of Uttar Pradesh, Karnataka and Gujarat have recommended to ban PFI.

And Whereas, the PFI and its associates or affiliates or fronts have been involved in the violent terrorist activities with an intent to create a reign of terror in the country, thereby endangering the security and public order of the state, and the anti-national activities of PFI disrespect and disregard the constitutional authority and sovereignty of the state and hence an immediate and prompt action is required against the organisation;

And Whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the PFI and its associates or affiliates or fronts, the PFI and its associates or affiliates or fronts, will use this opportunity to –

(i) continue its subversive activities, thereby disturbing public order and undermining the constitutional set up of the country;

(ii) encourage and enforce terror based regressive regime;

(iii) continue propagating anti-national sentiments and radicalize a particular section of society with the intention to create disaffection against the country;

(iv) aggravate activities which are detrimental to the integrity, security and sovereignty of the country;

And Whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the PFI, it is necessary to declare the PFI and its associates or affiliates or fronts to be unlawful association with immediate effect;

UTL MEDIA
உள்ளாட்சித்தகவல்
www.ullatchithagaval.com

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Popular Front of India (PFI) and its associates or affiliates or fronts including Rehab India Foundation (RIF), Campus Front of India (CFI), All India Imams Council (AIIC), National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO), National Women's Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation, Kerala as an "unlawful association";

And Whereas, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the PFI and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/3/2022-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

UTL
MEDIA

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

உள்ளாட்சித்தகவல்
www.ullatchithagaval.com